न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 438–तीन/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–12–2014 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण कमांक 135/2012–13/अपील.

.....

1–आशीष पिता श्री शांतीलाल संचेती
2–नोबल पिता शांतीलाल संचेती
3–परिधि पति नोबल संचेती
सभी निवासीगण बिस्टान रोड, खरगौन म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–राजाराम पिता बाबू माली
2–लच्छु पिता बाबूलाल माली
3–बानोबाई पति काले खॉ
4–हबीब खॉ पिता कालू खॉ
5–मुकीम खॉ पिता शेर खॉ
6–हबीब खॉ पिता रसुल खॉ
सभी निवासीगण काजीपुरा खरगौन म0प्र0

..... अनावेदकगण

.....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक–आवेदकगण

श्री अजीत जैन, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 11/5/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–12–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार गोगांवा के समक्ष संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके हक व आधिपत्य की ग्राम डाबरिया स्थित कृषि भूमि सर्वे कमांक 83/1, 70/1, 83, 85, 71/3 है । उक्त भूमि पर आने जाने के लिये अनावेदकगण के पास एक मात्र रूढिगत रास्ता आवेदकगण की भूमि सर्वे कमांक 6/5 एवं 69 की मेढ़ से था । उक्त रास्ते का उपयोग ग्राम के अन्य कृषक भी करते थे। जिस समय आवेदकगण के द्वारा उक्त भूमि कय की गई थी, उसके पूर्व से उक्त रूढिगत रास्ता था, परन्तु अचानक दिनांक 11–5–2010 को आवेदक गण द्वारा जे.सी.बी. मशीन से नाली बनाकर रास्ता अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज किया जाकर दिनांक 17–2–2011 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन रास्ता खुलवाये जाने के आदेश दिये गये । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–6–2011 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–12–2014 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील भी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसील न्यायालय के समक्ष उभयपक्ष के मध्य दिनांक 7–7–2010 को राजीनामा हो गया था, अतः तहसीलदार को राजीनामा के आधार पर आदेश पारित करना चाहिये था, परन्तु तहसीलदार द्वारा आवेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये गुणदोष पर आदेश पारित किया गया है, जो कि अवैध एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है । यहॉ तक कि साक्ष्यों के प्रतिपरीक्षण का भी अवसर

नहीं दिया गया है और अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इस ओर ध्यान नहीं देकर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।

(3) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा स्थल निरीक्षण टीप एवं पंचनामें का बिना सूक्ष्म अध्ययन किये आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है ।

(4) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष साक्ष्य पर आधारित नहीं होकर त्रुटिपूर्ण है, जिनमें हस्तक्षेप किया जा सकता है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्को में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तीनों अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रश्नाधीन रास्ता होना मान्य किया गया है, इस कारण संहिता की धारा 50 के प्रावधानों के अन्तर्गत निगरानी में हस्तक्षेप योग्य आधार नहीं है । तर्क के समर्थन में 1984 आर.एन. 284 व 431 एवं 2005 आर.एन. 178 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

(2) राजस्व मण्डल को साक्ष्य के पुर्नपरीक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं है । इस तर्क के समर्थन में 1985 आर.एन. 181 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

(3) इस न्यायालय द्वारा पुर्नपरीक्षण में साक्ष्य का पुनर्विलोकन में तथा तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये और न ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये निष्कर्षो से भिन्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं । इस तर्क के समर्थन में 2005 आर.एन. 246 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण संहिता की धारा 131 से संबंधित है। अनावेदक राजाराम एवं अन्य द्वारा तहसीलदार गोगावां के समक्ष एक आवेदन पत्र बहीबाटी, बैलगाड़ी का आम रास्ते को खोलने बावत् प्रस्तुत किया था, जिसका जबाव आवेदकगण की ओर तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया जाकर बताया था कि कृषि भूमि खसरा 6/5 व खसराद 69 की बीच की मेढ से अर्थात पूरब से पश्चिम की ओर होते हुए दक्षिण दिशा से उत्तर की मेढ से निकलकर अपने–अपने खेतों आते, जाते रहे हैं। इसी रास्ते से आवेदकगण के अतिरिक्त उत्तर दिशा की ओर स्थित अन्य कृषि भूमि के स्वामी भी आवागमन कर अपनी–अपनी कृषि भूमि में

कृषि कार्य हेतु बैलगाड़ी, पैदल आदि से आवागमन करते रहे हैं। आवेदकगण का उक्त रास्ता बहीवाटी एवं बाप–दादाओं के समय से चला आ रहा है। इस पर न्यायालय ने विचार नहीं किया। प्रकरण में उभयपक्षों के मध्य एक राजीनामा प्रस्तुत किया गया, जो प्रकरण में पेज नं. 79–80 पर लगा है । तहसीलदार के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने पहले तो इस राजीनामे को संज्ञान में लिया लेकिन कोई आदेश न कर प्रकरण अधूरा लिखकर बन्द कर दिया । फिर अचानक पुनः प्रकरण रिओपन कर लिया, लेकिन आवेदक को कोई नोटिस नहीं दिया तथा एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया गया । स्पष्ट है कि आवेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर जो आदेश पारित किया है वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। इस संबंध में 2007(2) एस.एस.सी. 181, 2008(14) एस.एस.सी. 151, ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 1216 में निर्धारित किया गया है कि सिद्धांत–लागू होना–सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने कानूनी उपबन्ध नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत लागू होगा। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 17.02.2011 निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर अपीलीय न्यायालयों द्वारा लेशमात्र विचार किये बिना ही जो आदेश पारित किये है, वह विधिवत एवं उचित नहीं होने से स्थिर रखे योग्य नहीं है। जहॉ तक अनावेदक की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस का प्रश्न है, प्रस्तुत लिखित बहस में उठाये गये आधार में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि उपरोक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है, ऐसी स्थिति में उनमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में 1984 आर.एन. 284, 431, 1985 आर.एन. 181, 2005 आर.एन. 246 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं। किन्तु यह न्यायदृष्टांत उन प्रकरणों में लागू होते है, जिनमें साक्ष्य पर आधारित समवर्ती निष्कर्ष हो। चूंकि इस प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर ही नहीं दिया गया है, ऐसी स्थिति में उक्त निष्कर्षो को साक्ष्य पर आधारित नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में 2006 आर.एन. 51, 1999 आर.एन. 412, 336 एवं 2011 आर.एन. 95, 2004 आर.एन. 370, 2003 आर.एन. 195 इनमें स्पष्ट किया गया है कि भू–राजस्व संहिता की धारा 50 पुनरीक्षण शक्तियों की व्याप्ति – तीनों

न्यायालयों के तथ्य के एक ही निष्कर्ष – निष्कर्ष विधि के विपरीत – पुनरीक्षण में हस्तक्षेप किया जा सकता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधि की स्पष्ट व्याख्या के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.12.2014 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.06.2011 तथा तहसीलदार गोगावां द्वारा पारित आदेश दि. 17.02.2011 निरस्त किये जाते हैं । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर